

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 8(2) राज/वाद/12

जयपुर, दिनांक

:: आदेश ::

विधि विभाग ने अधिसूचना दिनांक 08.08.23 द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से अपर जिला न्यायाधीश, रायसिंहनगर एवं अपर जिला न्यायाधीश, खेतडी का नाम परिवर्तित करते हुये अपर जिला न्यायाधीश सं01, रायसिंहनगर एवं अपर जिला न्यायाधीश सं01, खेतडी किया है।


अतः विधि विभाग की अधिसूचना दिनांक 08.08.23 के क्रम में अपर जिला न्यायाधीश, रायसिंहनगर में राज्य सरकार की ओर से पैरवीरत अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, रायसिंहनगर का पदनाम परिवर्तित करते हुये अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं01 रायसिंहनगर तथा अपर जिला न्यायाधीश, खेतडी में राज्य सरकार की ओर से पैरवीरत अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, खेतडी का पदनाम परिवर्तित करते हुये अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं01 खेतडी किया जाता है।

आज्ञा से,

३०
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी (जीएसवाई), माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव विधि।
5. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर/ झुन्डुनू।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सं01 रायसिंहनगर/ सं01 खेतडी।
7. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर/ झुन्डुनू।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
9. संबंधित कोषाधिकारी।
10. संबंधित कार्यालय।
11. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, विधि (वादकरण) विभाग।
12. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।


23/8/23
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि